



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224055  
CG-DL-E-31122020-224055

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4203]  
No. 4203]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4792(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, फथेलिक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम फथेलिक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 है।  
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- फथेलिक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/15/2018-पीसी-II]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.1402(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

**(Department of Chemicals and Petrochemicals)**

**ORDER**

New Delhi, the, 24th December, 2020

**S.O. 4792(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 and section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) **Short title and commencement** – (1) This order may be called the Phthalic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2020.  
(2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-  
“(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. PC-II 46016/15/2018-PC-II]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

*Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1402(E), dated the 23<sup>rd</sup> April, 2020.*